न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 10/2019 निर्णय दिनांक :– 22-11-19

उनवान

1. गोपाल पुत्र हजारी जाति जाट निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

—— वादीगण ——

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील चाकसू, जयपुर।

—— प्रतिवादीगण ——

दावा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी को वाद निम्न प्रकार पेश किया कि वादी व अन्य भाईयों की सह खातेदारी की भूमि खाता संख्या 93 के खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.71 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.74 है0 भूमि वाके ग्राम तीतरिया पटवार हल्का तीतरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 है। जिसमें वादी के पिता का नाम भूरा गलत दर्ज कर रखा है। वादी का वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

आराजी के अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपनी उपज का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करता चला आ रहा है। वादी के पिता का नाम विवादित आराजी में भूरा राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित हो रखा है जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम हजारी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होना चाहिये था। जबकि वादी के पिता का नाम वोटरलिस्ट व आधार कार्ड , पहचान पत्र , राशन कार्ड , शैक्षणिक प्रमाण पत्रो में हजारी अंकित हो रखा है जो सही दर्ज हो रखा है। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल पुत्र भूरा के स्थान पर गोपाल पुत्र हजारी दर्ज होना चाहिये था। वादी के पिता का नाम वादग्रस्त आराजी में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादी का नाम भूरा राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिया गया जबकि वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हजारी अंकित होना चाहिये था जिससे वादी वादग्रस्त आराजी में स्वयं के पिता का नाम भूरा की जगह हजारी दुरस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। वादी वादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड की नकले दिनांक 08/12/2018 को निकलवाई तब उसको बैंक में दिखाया तो दस्तावेजो व रिकॉर्ड में पिता का नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है। बैंक वालो ने कहा कि पहले तुम अपने पिता का नाम दुरस्त कराओ तब लोन देंगे तब जानकारी हुई। वादी के लिये

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में वादी अपने पिता का नाम भूरा की जगह हजारी दुरस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। वादी के लिये वादकारण दिनांक 08/12/2018 को बैंक वालो ने कहा कि आपके पिता का नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है, जिसके लिये कहने पर उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार हासिल है। वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 93 के खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.71 है0 कल किता 01 कुल रकबा 0,71 है0 भूमि वाके ग्राम तीतरिया पटवार हल्का तीतरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्वयं वादी के पिता का नाम भूरा के स्थान पर हजारी दुरस्त फरमाया जावें। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वो राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नही करे। अन्य कोई उचित आदेश जो वादी के हित में हो और माननीय न्यायालय की दृष्टि में उचित हो पारित किये जावें। दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश हुआ कि मद संख्या 1 मुताबिक जमाबंदी ग्राम तीतरिया पटवार हल्का तीतरिया सम्वत 2073–2076

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के खाता संख्या 93 में ख0नं0 1045 रकबा 0.71 है0 की खातेदारी गोपाल पुत्र भूरा मदन पुत्र हजारी कौम जाट सा0 श्रीकिशनपुरा के नाम दर्ज है। मद संख्या 2 व 3 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 4 का प्रथम भाग वादी स्वयं साक्ष्य सबूतों से सिद्ध करें। शेष कानूनी है। मद संख्या 5 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 6 से 9 कानूनी है। मद संख्या 10(क) से 10(ग) माननीय न्यायायल के क्षेत्राधिकार में है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये जवाब सरकार व प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाना जाहिर किया गया। वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम तीतरिया की जमाबंदी संवत 2073—76 को खाता संख्या 93 , 24 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका यूको बेंक की पासबुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र व मदन का शपथ पत्र व चुनाव पहचान पत्र बतौर दस्तावेज के पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गोर किया व जवाब सरकार व प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो राजस्व जमाबंदी में वादी के पिता का नाम भूरा अंकित है जबकि बाकि समस्त दस्तावेजात व वादी के भाई के पिता का नाम हजारी दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि के खाता संख्या 93 के खसरा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नम्बर 1045 रकबा 0.71 है0 भूमि वाके ग्राम तीतरिया तहसील चाकसू में वादी गोपाल के पिता का नाम गोपाल पुत्र भूरा के स्थान पर गोपाल पुत्र हजारी शुद्ध किया जाना है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बादी तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2019.12.03 16:36:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: